रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2921] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 16, 2017/आश्विन 24, 1939
No. 2921] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 16, 2017/ASVINA 24, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3337(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को या एम एस, सीपीसीबी और वैज्ञानिक 'डी' को ई-मेल mscp.cpcb@nic.in and h.kharkwal@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,—

(क) स्तंभ 4 में क्रम संख्या 5क के सामने, मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. विनिर्दिष्ट जल उपभोग, तारीख 1 जनवरी, 2017 के पश्चात् संस्थापित किए गए नए संयंत्र 3.0 मी.^{3}/मेगावाट से अधिकतम नहीं होगा और ये संयत्र शून्य जल दुव्यर्य को हासिल करेंगे।;"

(ख) क्रम संख्या 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्र. सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
"5ख	तापीय विद्युत संयंत्र (जल उपभोग सीमा समुद्री जल का प्रयोग)	जल उपभोग	उपरोक्त क्रम सं. 5क में स्तंभ 4 में मद 1 से 3 समुद्री जल में प्रयोग किया जाने वाला तापीय विद्युत संयंत्र को लागू नही होगा";

(ग) क्रम सं. 25 में, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण : सल्फर डाइआक्साइड और नाइट्रोजन के लिए सभी मानीटरी कीमत को, शुष्क आधार पर 6 % आक्सीजन के लिए संशोधित किया जाएगा।";

(घ) क्रम सं. 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा :—

क्र. सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
"33क	ईंधन गैस डी सल्फयुराईजेशन (एफ जी डी) के साथ तापीय विद्युत संयत्र	स्टाक मीटर में ऊंचाई /लिमिट^2	विद्युत उत्पादन क्षमता "100 मेगावाट और अधिक एच = 6.902 (क्यू x 0.277)$^{0.555}$ अथवा 100 मीटर जो भी अधिक हो 100 मेगावट से कम एच= 6.902 (क्यू x 0.277)$^{0.555}$ अथवा 30 मीटर जो भी अधिक हो क्यू = सल्फर डाइआक्साइड की कि.ग्रा./ उत्सर्जन दर एच = मीटर में भौतिक स्टाक उंचाई।"।

[फा. सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

डॉ. ए. सेन्थिल वेल, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल नियम के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किए गए थे:—

का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987, सा.का.नि. 176(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1996, सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009, सा.का.नि. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009 सा.का.नि. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009 सा.का.नि. 739(अ), तारीख 9 सितंबर, 2010, सा.का.नि. 809(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2010, सा.का.नि. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011, सा.का.नि. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011, सा.का.नि. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011, सा.का.नि. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011, सा.का.नि. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011,

IndiaCode

सा.का.नि. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012, सा.का.नि. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012, सा.का.नि. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012 और सा.का.नि. 820(अ), तारीख 9 नवंबर, 2012, सा.का.नि. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013, सा.का.नि. 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013, सा.का.नि. 771(अ), तारीख 11 दिसंबर, 2013, सा.का.नि. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 229(अ), तारीख 28 मार्च, 2014, सा.का.नि. 232(अ), तारीख 31 मार्च, 2014, सा.का.नि. 325(अ), तारीख 7 मई, 2014, सा.का.नि. 612(अ), तारीख 25 अगस्त, 2014, सा.का.नि. 789(अ), तारीख 11, नवंबर, 2014, का.आ. 3305(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2015, सा.का.नि. 4(अ), तारीख 1 जनवरी, 2016, सा.का.नि. 35(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016, का.आ. 281(अ), तारीख 7 मार्च, 2016, सा.का.नि. 496(अ), तारीख 9 मई, 2016 सा.का.नि. 497(अ), तारीख 10 मई, 2016 सा.का.नि. 978(अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2016, द्वारा और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1016(अ), तारीख 28 अक्तूबर, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2017

S.O. 3337(E).—The following draft of the not0ification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by Section 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to MS, CPCB and Scientist 'D' Ministry at the e-mail address i.e. mscb.cpcb@nic.in and h.kharkwal@nic.in.

DRAFT NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I,-

(a) against serial number 5A, in column 4, for item III, the following item shall be substituted, namely:—

"III. Specific water consumption shall not exceed maximum of 3.0 m^3/MWh for new plants installed after the 1st January, 2017 and these plants shall also achieve zero waste water discharge.";

(b) after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
"5B.	Thermal Power Plant (water consumption limit) using sea water	Water consumption	Items I to III in column 4 in serial number 5A above shall not be applicable to the Thermal Power Plants using sea water";

(c) in serial number 25, the following Note shall be inserted, namely:—

"Note : All monitored values for SO_2 and NOx shall be corrected to 6% Oxygen, on dry basis.";

(d) after serial number 33 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
"33A.	Thermal Power Plants with Flue Gas Desulphurization (FGD)	Stack Height/Limit in Meters	Power generation capacity: - 100 MW and above $H=6.902(QX0.277)^{0.555}$ or 100 m whichever is more - Less than 100 MW $H=6.902(QX0.277)^{0.555}$ or 30 m whichever is more"; Q = Emission rate of SO_2 in kg/hr H = Physical stack height in meter.".

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

Dr. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications:—

S.O. 433 (E), dated the 18th April 1987; G.S.R. 176(E) dated the 2nd April, 1996; G.S.R. 97 (E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149 (E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July,2009; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated the 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; and G.S.R. 277 (E), dated the 31st March, 2012; and G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176 (E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11th December, 2013; G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229 (E), dated the 28th March, 2014; G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2014; G.S.R. 325(E), dated the 7th May, 2014; G.S.R. 612(E), dated the 25th August 2014; G.S.R. 789(E), dated the 11th November 2014; S.O. 3305(E), dated the 7th December, 2015; S.O.4(E), dated the 1st January 2016; G.S.R. 35(E), dated the 14th January 2016; G.S.R. 281 (E), dated the 7th March, 2016; G.S.R. 496(E), dated the 9th May, 2016; G.S.R.497(E), dated the 10th May, 2016; G.S.R. 978(E), dated the 10thOctober, 2016; and lastly amended vide notification G.S.R. 1016(E), dated the 28th October, 2016.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.10.18 09:26:01 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.